# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

**राजस्व प्रकरण संख्या :— 143/2024** **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/115**
**दायर दिनांक :— 19.07.2024** **निर्णय दिनांक :— 22.12.2024**

01. गायड़सिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तहसील बाप जिला फलोदी
02. वीरकंवर पत्नी जबरसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तहसील बाप जिला फलोदी

**—प्रार्थीगण**

**बनाम**

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
02. गुमानसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तहसील बाप जिला फलोदी
03. जैतसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तहसील बाप जिला फलोदी
04. नारायणसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तहसील बाप जिला फलोदी
05. लालसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तहसील बाप जिला फलोदी
06. भंवरीदेवी पत्नी हडमानराम जाति विश्नोई नि. खेतनगर केतुकलां तह. सेखाला जिला जोधपुर
07. रतनाराम पुत्र खानूराम फौत के कायम मुकाम
7/1 सुनिल पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई नि. खेतनगर केतुकलां तह. सेखाला जिला जोधपुर
7/2 बबलु पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई नि. खेतनगर केतुकलां तह. सेखाला जिला जोधपुर
7/3 रामेश्वरी पत्नी रतनाराम जाति विश्नोई नि. खेतनगर केतुकलां तह. सेखाला जिला जोधपुर
08. हडमानराम पुत्र तेजाराम जाति विश्नोई नि. खेतनगर केतुकलां तह. सेखाला जिला जोधपुर
09. अमरसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तहसील बाप जिला फलोदी
10. सुमेरसिंह पुत्र पुंजराजसिंह जाति राजपूत निवासी भीवजी का गांव तह. बाप जिला फलोदी
11. देवाराम पुत्र फतुराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

**—अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956**

**उपस्थित :—1.** श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

## —:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 220/1 रकबा 9.4130 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 220/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

काश्त भूमि खसरा नम्बर 220/2 रकबा 25.7461 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 6 ता 8 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 220/3 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 9 ता 11 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 3.2375 हैक्टेयर सरहद मौजा बगतावरनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में राजस्व अभिलेख जमाबंदी में तो अलग अलग दर्ज थी लेकिन नक्शा लट्ठा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 11 की उक्त वादग्रस्त भूमि की तरमीम नहीं हो रखी थी, नक्शा लट्ठा में उक्त भूमि सामलाती दर्ज थी। वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस सलंग्न पेश है। प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी अधिकारों काश्त भूमि खसरा नम्बर 220/1 रकबा 9.4130 हैक्टेयर भूमि की तरमीम पटवारी हल्का द्वारा सेग्रीकेशन योजना के तहत की गई है। उक्त तरमीम करते समय पटवारी हल्का ने प्रार्थी संख्या 1 की तरमीम रकबा से कम कर दी है। प्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में की गई तरमीम का रेखीय क्षेत्रफला 48 बीघा है जबकि उक्त खसरा नम्बर 220/1 जमाबंदी में 58–13 बीघा है। उक्त तरमीम सरासर गलत तरीके से प्रार्थी संख्या 1 के जमाबंदी में दर्ज रकबा से कम की गई है इसलिये प्रार्थी संख्या 1 ग्राम बगतावरनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 220/1 रकबा 9.4130 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220/2 रकबा 25.7461 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220/3 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, अप्रार्थीग खसरा नम्बर 220 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरूद्व तरीके से खातेदारों के कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 11 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एंव पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम बगतावरनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 220/1 रकबा 9.4130 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220/2 रकबा 25.7461 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220/3 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, अप्रार्थीग खसरा नम्बर 220 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन भू–नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

कलेक्टर
(फलोदी)

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का शेखासर की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

**क्रियात्मक आदेश**

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बगतावरनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 220/1 रकबा 9.4130 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220/2 रकबा 25.7461 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220/3 रकबा 16.1874 हैक्टेयर, अप्रार्थीग खसरा नम्बर 220 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान भू–नक्शा में ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)